6.18 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से घरेलू कार्य न लिया जाना

संख्या 7 ई0 एम0/91–का–4–1997

प्रेषक,

सुधीर कुमार (सचिव)

उत्तर प्रदेश शसन।

सेवा में

समस्त सचिव एवं प्रमुख/सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग–4

लखनऊ : दिनांक 17 दिसम्बर, 1997

विषय–चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से घरेलू कार्य न लिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–अ0शा0 पत्र–22/3/1970 नियुक्ति (ख) दिनांक 4 अप्रैल 1970 में पूर्व में निर्गत शासनादेशों एवं सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली. 1956 के नियम 30 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए यह निर्देश जारी किये गये थे, कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों (अर्दली और चपरासी) से घरेलू कार्य न लिए जाय।

2–शासन के संज्ञान में लाया गया है, कि उपर्युक्त सुस्पष्ट प्राविधानों के होते हुए भी उनका अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है।

3–अतः इस सम्बन्ध में आप से यह कहने का मुझे पुनः निर्देश हुआ है, कि उपर्युक्त निर्देशों का अपने समस्त अधीनस्थ अधिकारियों के संज्ञान में लाते हुए उनका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय

सुधीर कुमार,

सचिव।